न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 131 / 2018	29–06–2018	19–02–2020

01– मामूरा पुत्र असरफ जाति मेव।
02– इलियास पुत्र असरफ जाति मेव निवासीयान साहडोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0। –अपीलाण्ट

बनाम

01–तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज। –रेस्पौ0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 12.02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 07 / 2018

उपस्थितः–

01–श्री पवन सिंह चौहान –वकील अपीलाण्ट

–ःनिर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 12.02.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम साहडोली की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 887 / 2.70 है0 में से 0.80 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम साहडोली की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 887 / 2.70 है0 में से 0.80 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 05.01.2018 को पटवारी द्वारा अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 12.02.2018 अपास्त फरमाया जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 12.02.2018 के विरूद्ध दिनांक 29.06.2018 को पेश किया। जो करीब 04 माह 17 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 29.06.2018 को विवादित आराजी पर कब्जा हटाना बताया है, जबकि तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण होना बताया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 12.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19–02–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)